

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीकरी जिला बड़वानी
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आप.प्रक.क्रमांक 83 / 2014
संस्थित दिनांक 18.02.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
अंजड़, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

- **अभियोगी**

वि रु द्ध

1. धुलसिंह पिता रुमालसिंह भील,
उम्र 45 वर्ष, निवासी हड़की बैडी, अंजड़
2. खुमानसिंह पिता रुमालसिंह भील,
उम्र 50 वर्ष, निवासी हड़की बैडी, अंजड़

- **अभियुक्तगण**

अभियोजन तर्फ एडीपीओ - श्री अकरम मंसूरी
अभियुक्तगण तर्फ अभिभाषक - श्री संजय गुप्ता

-: **नि र्ण य :-**

(आज दिनांक 20-12-2016 को घोषित)

01- पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 31/2014 के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध दिनांक 05.02.2014 को शाम के 07:00 बजे, हड़कीबैडी अंजड़, धुलसिंह के घर के आंगन में नग 13 बैलों को वध के प्रयोजन हेतु या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा, या वध किये जाने की संभावना है, वध हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन हेतु रखे पाये गये और वध किये जाने की संभावना से, उन्हें राज्य के भीतर या राज्य के बाहर वध हेतु उनका परिवहन करने के लिए मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 की धारा 6/11 तथा मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 6/9 के अंतर्गत आरोप हैं।

02- प्रकरण में एकमात्र स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।

03- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.02.2014 को थाना अंजड़ के उप निरीक्षक टी.एस. डावर को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि धुलसिंह पिता रुमाल भील, निवासी हड़कीबैडी अंजड़ के अपने एक साथी के साथ ग्राम गौलाटा तरफ से कुल 13 बैल पैदल-पैदल महाराष्ट्र वध हेतु ले जाने के लिए धुलसिंह के घर हड़की बैडी अंजड़ लाये है, तो उक्त सूचना पर विश्वास कर थाने से प्र. आरक्षक निर्भयसिंह क. 249, प्र. आर. जगन्नाथ 120, सैनिक कालू, जीप ड्रायवर अविनाश को हमराह लेकर हड़कीबैडी पहुंचा, तो धुलसिंह तथा एक व्यक्ति और पुलिस को आते देख

भाग गये। मौके पर मौजूद पंचान मांगीलाल तथा डोंगर के समक्ष कुल 13 बैल उम्र दर्जा धुलसिंह के आंगन से जिसमें सभी 13 बैल उम्र दर्जा होकर वध हेतु ले जाने जैसे है, जिसमें 09 बैल सफेद रंग के तथा 2 बैल हल्के काले रंग के, 01 लाल रंग का तथा 01 काला-कबरा है, आरोपी धुलसिंह भील एवं खुमान का कृत्य अपराध धारा 4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2010 का पाया जाने से विधिवत मौके पर कुल कीमती लगभग रुपये 10,4000/- के पंचान के समक्ष जप्त कर, बाद जप्तशुदा बैल कुल 13 आनंद गौशाला अंजड दाखिल किये जाकर असल अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण की जानकारी के आधार पर मेमोरेण्डन बनाया गया, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, जप्त बैलों का मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा बैलों को राजसात करने के लिए जिला कलेक्टर, बड़वानी को पत्र भेजा गया तथा बाद सम्पूर्ण अनुसंधान अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया।

04- उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय श्री मसूद एहमद खान द्वारा अभियुक्तगण को मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 की धारा 6/11 तथा मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 6/9 के अंतर्गत के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर उसकी विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। दंप्रसं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण का कथन है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में प्रवेश कराये जाने पर किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराना प्रकट किया है।

05- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
(i)	क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 05.02.2014 को शाम के लगभग 07:00 बजे हड़कीबैडी अंजड धुलसिंह के घर के आंगन से 13 गौवंश बैलों को वध करने के प्रयोजन से या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका वध किया जाएगा, वध करने हेतु महाराष्ट्र राज्य की ओर परिवहन करने के आशय से अपने अधिपत्य में रखा ?
(ii)	क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त गौवंश के 13 नग बैलों को वध करने की सम्भावना या यह ज्ञान रखते हुए कि इस प्रकार वध किया जाएगा, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या बाहर परिवहन किया ?

- विचारणीय प्रश्नों पर सकारण निष्कर्ष -

06- उपरोक्त दोनों ही विचारणीय प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित होकर, साक्ष्य की पुनरावृत्ति की रोकने व संक्षिप्तता की दृष्टि से प्रकरण में इनका एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

07— उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन साक्षी टी.एस. डावर (अ.सा.-6) का कथन है कि दिनांक 05.02.2014 को वह थाना अंजड़ में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसे मुखबीर से सूचना मिली कि धुलसिंह निवासी हड़कीबैडी अपने एक साथी के साथ गुलाटा से 13 बैल पैदल-पैदल चलवाकर महाराष्ट्र वध हेतु ले जाने के लिये धुलसिंह के घर लाए हैं, तो सूचना पर विश्वास कर थाने से प्रधान आरक्षक निर्भयसिंह, प्रधान आरक्षक जगन्नाथ, सैनिक कालू, जीप ड्रायवर अविनाश को लेकर ग्राम हड़कीबैडी पहुंचा वहां 13 बैल धुलसिंह के घर के आंगन में बंधे थे तथा 2 व्यक्ति जिनमें आरोपी धुलसिंह भी था बैल छोड़कर भाग गये। मौके पर उपस्थित पंचान साक्षी मांगीलाल तथा डोंगरसिंह के समक्ष 13 बैलों को जप्त किया, जिसका जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 1 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्त बैलों को गौशाला अंजड़ छोड़कर थाने पर आये तथा थाने पर आकर अपराध क्रमांक 31/14 आरोपी धुलसिंह तथा एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज किया जो प्रदर्श पी 9 है जिसके ए से ए और बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी धुलसिंह से पूछताछ की जिसने उसे बैल महाराष्ट्र ले जाना बताया था जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 5 का उसने बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी खुमानसिंह से पूछताछ की जिसने उसे धुलसिंह के साथ बैल खरीदकर महाराष्ट्र वध हेतु ले जाना बताया था जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 4 का उसने बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने जप्त बैलों को मेडिकल परीक्षण हेतु पत्र व्यवहार किया था। पुलिस अधीक्षक बड़वानी को जप्तशुदा बैलों को राजसात करने के संबंध में प्रदर्श पी 12 का पत्र जारी किया था। रोजनामंचा सान्हा नकल संलग्न की है जो प्रदर्श पी 13 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

08— बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि हड़कीबैडी पर अधिकतर निर्धन परिवार के लोग निवास करते हैं तथा लोगों के मकान दूर-दूर तक बसे हुए होकर खुला हुआ क्षेत्र है, उक्त खुले क्षेत्र में कई लोगों के वाहन खड़े रहते हैं एवं आवारा पशु चरते रहते हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि हड़कीबैडी के आसपास खेत और जंगल होने के कारण बहुत से चरवाहे अपने जानवरों को वहां पर चराने हेतु वहां लेकर आते हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कोई भी किसान अपने घर पर भैंस, गाय, बैल आदि पालता है तो अपने आंगन में खड़े रखता है, जब वह घटना स्थल पर गया था तब बैलों के अलावा वहां आसपास कोई अन्य जानवार नहीं थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जप्ती की कार्यवाही के समय शाम को हल्का अंधेरा हो गया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने असत्य कार्यवाही की है।

09— निर्भयसिंह मुजाल्दे (अ.सा.8) का कथन है कि दिनांक 05.02.2014 को थाना अंजड़ में उपनिरीक्षक डावर को मुखबीर की सूचना प्राप्त होने पर उसने उनके साथ ग्राम हड़कीबैडी जाने और 13 बैल आरोपी धुलसिंह के आंगन से जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि धुलसिंह और एक अन्य आरोपी पुलिस को देखकर मौके से भाग गये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि हड़कीबैडी के आसपास किसानों

की कृषिभूमि है और वहां बहुत सारे जानवर चराने के लिये लाते हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने मौके पर कौन सा मकान किसका है यह पता नहीं किया था। वहां बैल बंधे थे उस मकान की जानकारी ली थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने और उपनिरीक्षक डावर ने अभियुक्तों के विरुद्ध असत्य मुकदमा दर्ज कराया है।

10— दिनेश पटेल (अ.सा.5) का कथन है कि दिनांक 07.02.2014 को पशु चिकित्सालय अंजड़ में थाना अंजड़ के पत्र क्रमांक 252/2014 के आधार पर जप्त 13 बैलों का मेडिकल करने पर उन्हें स्वस्थ और कृषि कार्य करने के लिये उपयोगी पाया था तथा 4 बैलों को मामूली चोट होना पायी थी। उसका परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी 7 को भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि यदि उक्त 4 बैल झाड़ियों से रगड़ कर चले तो उक्त चोटें आना संभव है।

11— मांगीलाल (अ.सा.1), डोंगरसिंह (अ.सा.2), पर्वतसिंह (अ.सा.3), रूपचंद (अ.सा.4) तथा अविनाश (अ.सा.7) जप्ती पंचनामों के साक्षी हैं, लेकिन उक्त किसी भी साक्षी ने आरोपीगण को पहचानने या पुलिस द्वारा हड़कीबैडी के मकान से उक्त 13 बैल उनके सामने जप्त करने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। उक्त साक्षियों को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षियों ने इस सुझाव से स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि उपनिरीक्षक डावर (अ.सा.6) ने आरोपी धुलसिंह के मकान से 13 बैल प्रदर्श पी 1 के अनुसार जप्त किये थे यहां तक कि साक्षियों ने पुलिस को कोई भी कथन देने से भी इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने जप्ती पंचनामों पर जब हस्ताक्षर किये थे तब वह कोरा था। उक्त हस्ताक्षर थाने पर किये थे।

12— इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी अभियोजन साक्षी ने आरोपीगण से उक्त बैल वध करने के प्रयोजन से परिवहन करते हुए ले जाने के संबंध में भी कथन नहीं किये हैं। यहां तक कि उपनिरीक्षण डावर (अ.सा.6) ने भी उक्त बैल किसी भी आरोपी से जप्त नहीं किये, बल्कि हड़कीबैडी के एक मकान से जप्त किये हैं और वह मकान किस व्यक्ति के स्वत्व या अधिपत्य का है इस संबंध में भी कथन नहीं किये हैं तथा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। यहां तक कि उक्त 13 बैलों की जप्ती भी आरोपीगण के अधिपत्य से या उनके द्वारा परिवहन किये जाने के दौरान नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपित उक्त समस्त अपराध या अन्य कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

13— अतः उक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। फलतः यह न्यायालय अभियुक्तगण धुलसिंह पिता रूमालसिंह तथा खुमानसिंह पिता रूमालसिंह को मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 की धारा 6/11 तथा मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 6/9 के अंतर्गत दण्डनीय आरोपों से संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त घोषित करता है।

14— अभियुक्तगण के जमानत—मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

15— चूंकि प्रकरण में जप्त बैलों के संबंध में राजसात की कार्यवाही कलेक्टर, बड़वानी के समक्ष लम्बित है, अतः उक्त जप्त बैलों के संबंध में कोई भी आदेश नहीं दिया जा रहा है। कोई अन्य जप्त सम्पत्ति नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठीकरी जिला बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठीकरी, जिला बड़वानी, म.प्र.